भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 4384

उत्तर देने की तारीख : 27.03.2025

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देना

4384. श्री राजू बिष्टः

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2019 से विशिष्ट योजना के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और लघु तथा मध्यम उद्यमों (एमएसई) क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) वित्तीय आवंटन का ब्यौरा क्या है और वर्ष 2019 से दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और उत्तरी दिनाजपुर जिलों में स्वीकृत एमएसएमई और एमएसई परियोजनाओं की कुल संख्या कितनी है; और

(ग) उक्त योजना ने पश्चिम बंगाल में एमएसएमई के विकास में किस प्रकार योगदान दिया है और इन स्वीकृत परियोजनाओं से क्या अपेक्षित परिणाम मिलेंगे?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) से (ग) : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय, केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमों, जिनमें राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों के लिए निधियां आबंटित नहीं की जाती हैं, के कार्यान्वयन के जरिए राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र की सरकारों के प्रयासों में सहायता प्रदान करता है। एमएसएमई मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सहित देश के एमएसएमई क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। इन कदमों में अन्य के साथ-साथ, बैंक ऋण पर मार्जिन मनी सब्सिडी प्रदान करके गैर-कृषि क्षेत्र में नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) को कोलेटरल मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएस), अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों के लिए 20 लाख रुपए तक के कोलेटरल मुक्त ऋण, संस्थागत क्रेडिट (बैंक ऋण) के जरिए संयंत्र और मशीनरी/उपस्करों की खरीद के लिए अ.जा./अ.ज.जा. के स्वामित्व वाले एमएसई को 25 प्रतिशत सब्सिडी के प्रावधान के साथ विशिष्ट क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम, पीएम विश्वकर्मा योजना, मुद्रा योजना आदि जैसी स्कीमें शामिल हैं।

दार्जिलिंग, कलिमपोंग और उत्तर दिनाजपुर जिलों में सीजीएस और पीएमईजीपी के अंतर्गत एमएसएमई को प्रदान किए गए लाभों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

सीजीएस के तहत अनुमोदित क्रेडिट गारंटियां			
		वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2024-25 (दिनांक 28.02.2025 तक)	
क्र.सं.	**राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र**	**अनुमोदित गारंटियों की संख्या**	**अनुमोदित राशि (करोड़ रुपए में)**
1	दार्जिलिंग	11,634	1138
2	कलिमपोंग	733	53.37
3	उत्तर दिनाजपुर	7,213	521
कुल		**1,604**	**19,580**

	वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2024-25 (दिनांक 25.03.2025) के दौरान पीएमईजीपी के अंतर्गत लाभ			
क्र.सं.	**जिला**	**संवितरित मार्जिन मनी (लाख रु. में)**	**सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या**	**अनुमानित सृजित रोजगार**
1	दार्जिलिंग	931.53	329	2,632
2	कलिमपोंग	195.18	78	624
3	उत्तर दिनाजपुर	370.36	119	952
कुल		**1497.07**	**526**	**4208**

******